संख्या-23 /2021/ 560 ई-2/तेरह-2021-75/2005

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 12 मार्च, 2021**

विषयः- मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा. लि., परसेन्डी, जनपद-बहराइच की क्षमता वर्ष 330 कार्यकारी दिवस से बढाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 198 लाख लीटर वार्षिक से बढाकर 210 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-88/दो-प्रा.डी.-210/पारले, दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22-02-2021 द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा. लि., परसेन्डी, जिला-बहराइच की 60 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 330 दिवस से बढ़ाकर 350 कार्य दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 198 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 210 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक को उक्तानुसार कार्य दिवस/क्षमता विस्तार करने से पूर्व श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग, केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।